



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 17.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश  
112  
आपात सेवाएं



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

आज दिनांक- 17.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 17.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरूक-**

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान" चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 17.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरूकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 17.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**जनपद महोबा में सुदृढ़ यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर**

**प्रत्येक ई-रिक्शा के मालिक/चालकों का होगा सत्यापन-**

जनपद महोबा में यातायात पुलिस टीम द्वारा परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी ई-रिक्शा मालिक/चालकों के सत्यापन की कार्यवाही की जानी है, जिससे जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा/कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखा जा सके। इस प्रक्रिया से जनपद महोबा में केवल पात्र, कानूनन मान्य और विश्वसनीय व्यक्ति ही ई-रिक्शा चला सकें। ई-रिक्शा से सम्बन्धित चोरी, लूट, छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि केवल वे ही चालक ई-रिक्शा चलायेंगे, जिनका चरित्र प्रमाणित हो और जो सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हों। इससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।

अतः सभी रिक्शा मालिकों एवं चालकों को सूचित किया जाता है कि यातायात पुलिस जनपद महोबा द्वारा सभी ई रिक्शों का सत्यापन किया जा रहा है जिसमें शत प्रतिशत रिक्शों का सत्यापन होना अनिवार्य है, इसलिए आप सभी से अनुरोध/अपील है कि अगले 07 दिवस के अंदर समस्त ई रिक्शा मालिक/ चालक अपने अपने रिक्शे का सत्यापन परमानंद चौक पर पहुंचकर कराना सुनिश्चित करें अन्यथा बिना सत्यापन के रिक्शा पाए जाने पर नियमानुसार वाहन सीज की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।



## E - Rickshaw

**सत्यापन न कराने वाली पर होने वाली है बड़ी कार्यवाही**

